


कार्यालय- जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक- 70 कोरोना/दो-12-11/2020 जबलपुर,दिनांक-27 अप्रैल 2021


कार्यालयीन आदेश क्रमांक-68/कोरोना/दो-12-11/2020 जबलपुर दिनांक 25.04.2021 द्वारा जिला मुख्यालय पर पदस्थ श्री उदय सिंह मरावी अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (विद्युत) जबलपुर की ड्यूटी जमानत आवेदन पत्रों/अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई हेतु दिनांक 29.04.2021 को लगाई गई थी, किन्तु श्री मरावी के कोरोना पॉजीटिव होने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 29.04.2021 को जमानत आवेदन पत्र/अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई हेतु श्री मुकेश दांगी, षष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की ड्यूटी लगाई जाती है।

शेष निर्देश आदेश क्रमांक 68/कोरोना/दो-12-11/2020 जबलपुर दिनांक 25.04.2021 के यथावत् प्रभावी रहेंगे।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

पृष्ठा.क्रं.-.....कोरोना/दो-12-11/2020 जबलपुर,दिनांक-27अप्रैल 2021
प्रतिलिपि:-

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर।
02. समस्त संबंधित न्यायाधीशगण।
03. कलेक्टर जबलपुर।
04. पुलिस अधीक्षक जबलपुर।
05. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर।
06. कमिश्नर, नगर निगम जबलपुर।
07. अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर।
08. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जबलपुर।
09. प्रभारी अधिकारी नजारत, कम्प्युटर अनुभाग/जूनियर सिस्टम एनालिस्ट जबलपुर की ओर संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल पर सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय के बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
10. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
11. श्री सोमेन्द्र श्रीवास्तव प्रस्तुतकार सत्र न्यायालय जबलपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)